Sr. Dy. Registrar

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांकः 09/P.I./2016 दिनांकः 17-05-2016

18/5/16

परिपत्र

दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में दीवानी विवादों के शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण संशोधन किये गये है फिर भी सामान्यतः देखा गया है कि दीवानी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा इन प्रावधानों की कठोरता से पालना नही की जाती है बल्कि बिना किसी उचित कारण के स्थगन प्रदान किये जाते हैं जिससे दीवानी प्रकरणो का समय पर निस्तारण नही हो पाता है, परिणामतः इनकी संख्या में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। इस प्रवृति को उच्च न्यायालय प्रशासन ने गम्भीरता से लिया है।

उपरोक्त स्थिति में दीवानी न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक स्टेज पर विलम्ब को नियंत्रित करने हेतु बनाये गये कानूनी प्रावधानो की हर सम्भव पालना करें।

दीवानी वाद प्रस्तुत होने पर आदेश 7 नियम 10 व 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों की रोशनी में प्रत्येक वाद का परीक्षण करे, बिना विचार किये रूटीन में सम्मन जारी नहीं करें। वादपत्र के अवलोकन मात्र से यदि दावा विधि द्वारा वर्जित (Barred By Law) पाया जावे या क्षैत्राधिकार के बाहर हो तो वादी का पक्ष सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करें और प्रतिवादीगण को अनावश्यक सम्मन जारी नहीं करें।

यदि प्रथम दृष्टया वाद पत्र सुनवाई योग्य है तो उसे दर्ज कर सम्मन जारी करे। जिन मामलों में अस्थाई निषेधाज्ञा की मॉग की गई हो, उनमें अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर एकपक्षीय निषेधाज्ञा जारी नहीं करें। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के रूप में रूटीन में यथास्थिति के आदेश जारी नहीं करें बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्रों का यथासंभव शीघ्र गुणावगुण पर निस्तारण करें।

काफी संख्या में दीवानी प्रकरण तामील की स्टेज पर लंबित रहते हैं। पक्षकारों की तलबी में न्यायालय का काफी समय जाया होता है, अतः इन्हें नजरअंदाज नहीं करें बल्कि तामील सुनिश्चित करने हेतु अपनी निगरानी मे प्रभावी कार्यवाही करे। निर्धारित अवधि में जवाब दावा प्राप्त करें, जवाब दावे के लिये रूटीन में स्थगन प्रदान नहीं करें।

जवाब दावे में दावे के अनुतोष को आंशिक रूप से स्वीकार करने पर आदेश 12 नियम 6 के अन्तर्गत आंशिक डिक्री पारित करें,

688 21 May 2016

विवाद्यक विरचित करने के लिये अनावश्यक प्रकरण को लम्बित नही रखे। विवाद्यक बनाते समय अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। दोनों पक्षों से दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार करायें। विवाद को सीमित व निश्चित करने के लिए पक्षकारों का परीक्षण करें।

जिन मामलों में समझौते की सम्भावना हो उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य बनाम चेरियन वेरकेय कंस्ट्रक्शन एवं अन्य 2010(8) एस.सी.सी. 24 मामले में पारित निर्णय की रोशनी में विवाद की प्रकृति के अनुरूप लोक अदालत, मध्यस्थता या अन्य उचित वैकल्पिक निस्तारण माध्यम हेतु रेफर करें।

यदि किसी प्रकरण में शुद्ध कानूनी विवाद्यक की रचना हुई है जिसके निर्णय के लिए साक्ष्य लिये जाने की आवश्यकता नहीं है तो उसका प्रारम्भिक विवाधक के रूप में निर्णय करें ताकि अनावश्यक मामला लम्बित नहीं रहे।

दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित अवसर प्रदान करें। बिना किसी उचित व अपरिहार्य कारण के एक भी स्थगन प्रदान नहीं करें। एक पक्षकार द्वारा अनावश्यक स्थगन लिये जाने पर हर्जा अधिरोपित करने सम्बंधी सुसंगत विधिक प्रावधानों का उपयोग करें। किसी भी अवस्था में उपस्थित गवाह को बिना परीक्षण के वापस नहीं भेजें। जिरह अधूरी रहने पर यथासम्भव मामले को दिन प्रतिदिन लगायें। स्थगन प्रदान करने के कारणों का आवश्यक रूप से आदेशिका में उल्लेख करें।

किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्रों को अनावश्यक लम्बित नहीं रखें बल्कि सिर्फ विलम्बित करने की गरज से पेश किये गये प्रार्थना–पत्रों का पेश होते ही निस्तारण करें।

गवाहों को तंग करने वाली एवं अनावश्यक लम्बी जिरह को नियंत्रित करने के लिये सम्बंधित कानूनी प्रावधानों का कठोरता से उपयोग करें।

दोनों पक्षों की साक्ष्य पूरी होने के पश्चात बहस अंतिम के लिए अनावश्यक स्थगन प्रदान नहीं करें बल्कि अविलम्ब बहस सुनें, लम्बी बहस को नियंत्रित करें। लिखित बहस स्वीकार करें और निर्धारित अवधि में निर्धारित पेशी पर निर्णय सुनायें।

यह आम धारणा है कि दीवानी न्यायालय में डिक्री लेना आसान है, निष्पादन बहुत कठिन है। इस धारणा को दूर करने के लिए कृपया निष्पादन प्रकरणों पर व्यक्तिगत ध्यान दें। उनमें अनावश्यक स्थगन प्रदान नहीं करें। हर पेशी पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं निष्पादन प्रकरणों का यथासंभव शीघ्र निस्तारण करें।

पुराने मामलों को प्राथमिकता दें यथासंभव उनमें स्वयं आदेशिकाएँ लिखें। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिक, विशेष योग्य जन, हिजड़े एवं एच0आई0वी0 पीड़ितों के प्रकरणों को प्राथमिकता प्रदान करें।

सभी जिला न्यायाधीशगण अपने न्यायक्षेत्र में उपरोक्त दिशा–निर्देशों एवं दीवानी प्रकरणों के निस्तारण में देरी को रोकने तथा उनके शीघ्र निस्तारण के लिए बनाए गए सभी विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।

नोटः– समयबद्ध एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना प्रभावी विधिक प्रावधानों के अध्यधीन (subject to prevailing legal provisions) की जानी है।

रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक : Gen./XV/(e)1/2016/ 3001 Date : 17.05.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश को इस निर्देश के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों/समस्त विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय को वितरित कर उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/पीठ जयपुर।
3. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, सामान्य अनुभाग, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को रक्षित पत्रावली हेतु।

17/5/16

रजिस्ट्रार (प्रशासन)